HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए देहज हत्या के मामले में पति को 10 वर्ष व सास-ससुर को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-5,000/- रू0 (कुल 15,000 रू0) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 15..12.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा "देहज हत्या" के अभियोग में पति व सास-ससुर को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 31.10.2022 को थाना पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1. पति सचिन पुत्र महेश, 2. सास लक्ष्मी पत्नी महेश व 3. ससुर महेश पुत्र फूल सिंह निवासीगण ग्राम गालन्द थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ द्वारा देहज हत्या कारित करने की दुस्साहसिक घटना की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पर मु0अ0सं0 586/2022 धारा 498ए, 323, 304बी भादवि व 3/4 देहज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 21.01.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 15.12.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश हापुड़ द्वारा पति को 10 वर्ष व सास-ससुर को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-5,000/- रू0 (कुल 15,000 रू0) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री गौरव नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी पिलखुवा एवं पैरोकार है0का0 539 देवेन्द्र कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 890 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।